



चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
Directorate of Medical Education and Training
Uttar Pradesh , Lucknow

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग-2019

National Eligibility cum Entrance Test (NEET) UG Counseling -2019

विवरण पुस्तिका (Brochure)

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय/निजी क्षेत्र के
एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम
(M.B.B.S. & B.D.S. Courses)

Government/Private Medical & Dental Institutions

Disclaimer: The Government of Uttar Pradesh & National Informatics Center (NIC) will be conducting the online registration procedure as per the information filled by the candidates. The Government of Uttar Pradesh & NIC will not be responsible for any technical fault or delay due to electricity failure.

Candidates are required to assess their eligibility themselves before applying. The eligibility will be checked from original documents at the time of document verification and admission in State Medical Colleges/Institutions/Universities as detailed in brochure/website <https://upneet.gov.in> & www.updgm.in

Any imposter/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions will make the candidate lose his/her candidature and would be subjected to legal action.

For any communication related to UPNEET UG 2019 Please email on given mail id below
neetcounselingup@gmail.com

20-06-2019

20/6/19

Galax

INDEX

S. No.	Subject	Page No.
1	Important Dates	3
2	Eligibility	4-7
3	Document Verification	7-8
4	Nodal Centers for Admission	8-9
5	Registration & Security Fee	9-10
6	Resignation	10
7	Reservation	11-12
8	Service Bond	13
9	Counseling Process	13-14
10	List of Medical & Dental Colleges	14-16
11	List of Castes	17-18
12	Annexures	19-30

Help line Number 07897451786

website for information: <https://upneet.gov.in>, www.updgme.in,

website for Online counseling: <https://upneet.gov.in>

अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances)

शासनादेश संख्या-985/71-4-2019-07/2018 दिनांक 17 जून, 2019 जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु राजकीय एवं निजी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रमों (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश के लिए नीति-निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश के बिन्दु-17 "अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances) के सम्बन्ध में नामित विशेष अधिकारी का नाम व पदनाम निम्नानुसार है:-

डा० शिशिर धर

विशेष अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ

मोबाईल नम्बर- 9454019386

कार्यालय दूरभाष नम्बर- 0522-2287653

ई-मेल आईडी- neetcounselingup@gmail.com

(कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 05 बजे तक)

नोट- वाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा।



यू0पी0 नीट यू0जी0 2019 की काउंसिलिंग की महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रथम चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग की समय-सारिणी	
ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	21 जून, 2019 (अपरान्ह 04 बजे से) से 24 जून 2019
मेरिट सूची जारी करने की तिथि	25 जून 2019
पंजीकृत अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन तथा धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की तिथि	26 जून 2019 से 30 जून 2019 (प्रातः 09 बजे से सांय 05 बजे तक)
ऑन लाईन च्वाईस फिलिंग की तिथि	02 जुलाई 2019 (प्रातः 10 बजे से) से 04 जुलाई 2019
ऑन लाईन काउंसिलिंग के परिणाम की घोषणा	05 जुलाई 2019
आवृत्त अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि	06 जुलाई 2019 से 11 जुलाई 2019 तक
प्रवेश लेने की तिथि	08 जुलाई 2019 से 12 जुलाई 2019 तक

द्वितीय चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग की समय-सारिणी	
ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	12 जुलाई, 2019 (प्रातः 10 बजे से) से 15 जुलाई 2019
मेरिट सूची जारी करने की तिथि	16 जुलाई 2019
नए पंजीकृत अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन तथा धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की तिथि	17 जुलाई 2019 से 19 जुलाई 2019 (प्रातः 09 बजे से सांय 05 बजे तक)
ऑन लाईन च्वाईस फिलिंग की तिथि	24 जुलाई 2019 (प्रातः 10 बजे से) से 25 जुलाई 2019
ऑन लाईन काउंसिलिंग के परिणाम की घोषणा	26/27 जुलाई 2019
आवृत्त अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा प्रवेश लेने की तिथि	29 जुलाई 2019 से 03 अगस्त 2019 तक

मॉपअप राउण्ड की समय-सारिणी (पृथक से जारी की जायेगी)	
ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	
मेरिट सूची जारी करने की तिथि	
राजकीय मेडिकल/डेंटल कालेजों हेतु काउंसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On Spot)	
निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु काउंसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On Spot)	
निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों हेतु काउंसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On Spot)	
निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों को उपलब्ध करायी गयी 1:10 की सूची के अभ्यर्थियों की प्रवेश की अन्तिम तिथि	
निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों की रिक्त सीटों के सापेक्ष 1:10 के अनुपात में पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की तिथि	
सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	01 अगस्त 2019

Any change in date of online counseling will be announced by the Director General Medical Education, UP Lucknow, and will be displayed on the website

अद्यतन सूचना हेतु वेबसाइट <https://upneet.gov.in> & www.updgme.in का समय-समय पर अवश्य अवलोकन करें।



अर्हतायें (Eligibility)

प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल/विश्वविद्यालय/संस्थानों/अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हताएं-

- ऐसे छात्र जिन्होंने NEET यूजीई 2019 की परीक्षा में प्रतिभाग करते हुए नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एनआईसी की वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के क्रम में प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।
- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेंटल कालेज में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में से कोई एक परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश राज्य के अहर से उत्तीर्ण की हो, को सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या-157/तीन-2003-77(11)83, दिनांक 18.02.2003 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों को डोमेस्टाइल/सामान्य निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र डाक्यूमेन्ट स्थापन एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संलग्नक-1
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

शैक्षिक अर्हतायें (Academic Qualification) (NEET UG 2019 के Brochure के अनुसार)

III- अर्हताएं (NEET UG- 2019 के ब्रोशर के अनुसार)

1. Eligibility to appear in NEET (UG) - 2019

Eligibility for appearing in NEET (UG) is as stipulated in Indian Medical Council Act-1956 and the Dentists Act-1948 as amended in 2018.

Eligibility as per related Regulations is as follows:-

- He/she has completed age of 17 years at the time of admission or will complete that age on or before 31st December of the year of his/her admission to the 1st year MBBS/BDS Course.
- The upper age limit for NEET (UG) is 25 years as on the date of examination with relaxation of 5 years for the candidates belonging to SC/ST/OBC category and persons entitled for reservation under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

The Age criteria for appearing in NEET (UG) - 2019 is as follows:

For Candidates of Unreserved Category (UR)	born on or between 05.05.1994 and 31.12.2002
For Candidates of SC/ST/OBC/PwD Category	born on or between 05.05.1989 and 31.12.2002

iii. Indian Citizens/ Overseas Citizens of India intending to pursue MBBS/ BDS from a foreign Medical/ Dental Institute also need to qualify NEET (UG).

(As per letter No. V.11011/14/2018-MEC/MEP dated 17.10.2018 of MoH&FW)

2. Eligibility for seats under the control of States/Deemed Universities/Central Universities/ESIC and AFMC including Delhi University (DU), BHU & AMU/central pool quota

- Indian Nationals, Non Resident Indians (NRIs), Overseas Citizen of India (OCI), Persons with Indian Origin (PIO) and Foreign Nationals are eligible for admission in Medical/Dental Colleges

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

subject to rules and regulations framed by the respective State Governments, Institutions and the Government of India as the case may be.

ii. Foreign nationals may confirm their eligibility from the concerned Medical/Dental College/State.

3. Eligibility for 15% All India Quota seats

a) Indian Nationals, Non Resident Indians (NRIs), Overseas Citizen of India (OCI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign Nationals are eligible for 15% All India Quota Seats.

b) Candidates from State of J & K

i. Students from State of J & K are not eligible for 15% All India Quota seats as State of J&K has opted out of All India Scheme since its inception. If they claim eligibility, they must submit **online Self Declaration** which will be generated and printed automatically along with confirmation page for the record and to present the same during counseling. The **Self-Declaration Form** is given in **Appendix III**.

ii. The online Self Declaration of the candidates will be verified at the time of counseling and if found to be false at any time, the candidature/admission of such candidates shall be cancelled and **criminal proceedings** may be initiated against such candidates.

iii. Candidates from the State of J & K can appear in NEET (UG) for admission to Private Medical/Dental Colleges or any Private/Deemed University and Armed Forces Medical College (AFMC), Pune subject to the fulfillment of eligibility conditions.

Qualifications and Qualifying Examination Codes

CODE : 01	A candidate who is appearing in the qualifying examination, i.e., 12th Standard in 2019, whose result is awaited, may apply and take up the said test but he/she shall not be eligible for admission to the MBBS or BDS, if he/she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage of marks at the time of first round of Counseling.
OR	
CODE : 02	The Higher/Senior Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher/Senior Secondary Examination after a period of 12 years study, the last two years of such study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology (which shall include practical tests in these subjects) and Mathematics or any other elective subject with 12 English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research and Training after introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. Candidates who have passed 10+2 from Open School or as private candidates shall not be eligible to appear for 'National Eligibility Cum Entrance Test'. Furthermore, study of Biology/Biotechnology as an Additional Subject at 10+2 level also shall not be permissible. The proviso in italics has been subject matter of challenge before the Hon'ble High Court of Delhi, Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench and Hon'ble High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur. The provisions of the regulations disqualifying recognized Open School Board candidates and the candidates who have studied Biology/Biotechnology as an additional Subject has been struck down. "The Medical Council of India has preferred Special Leave Petitions before the Hon'ble Supreme Court and Appeals in the Hon'ble High Courts. Therefore, the candidatures of candidates in the NEET (UG)-2019 who have passed the qualifying examinations i.e. 10+2 from National Institute of Open Schooling or State Open Schools or as private candidates from recognized State Boards; or with Biology/Biotechnology as

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

	additional subject shall be allowed but subject to the outcome of Special Leave Petitions/Appeals filed by the Medical Council of India".
OR	
CODE : 03	The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognised examining body with Physics, Chemistry, Biology /Bio-technology (which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject.
OR	
CODE : 04	The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology & English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Pre-professional/Pre-medical examination shall include practical tests in these subjects and also English as a compulsory subject.
OR	
CODE : 05	The first year of the three years' degree course of a recognised University with Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Biotechnology with English at a level not less than a core course.
OR	
CODE : 06	B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc. Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Bio-technology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology and English.
OR	
CODE : 07	Any other examination which in scope and standard (Last 02 years of 10+2 Study comprising of Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology; which shall include practical test in these subjects) is found to be equivalent to the Intermediate Science Examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology including practical tests in each of these subjects and English.

- Provided that to be eligible for NEET (UG) - 2019, candidate must have passed any of the qualifying examinations as enumerated above or appearing in the qualifying examination in 2019. Provided also that to be eligible for NEET (UG) - 2019, the candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of Regulation 4 on Graduate Medical Education Regulations, 1997 as amended in 2018 and in addition must have come in the merit list of NEET (UG) - 2019 for admission to MBBS/BDS Courses.
- In respect of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes; the marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 40% marks instead of 50% marks for Unreserved 14 Candidates and 40% for SC/ST/OBC candidates. In respect of PwD candidates specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology (or Botany & Zoology)/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50% for Unreserved category candidates.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

- Provided further that the students educated abroad seeking admission into medical colleges in India must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English up to the 12th standard level with 50% marks and their equivalency determined by Association of Indian Universities (AIU) as per regulations of the Medical Council of India and the concerned University.
- If a candidate does not fall within the qualifications prescribed as per Code number 01-07, he/she should furnish complete details to determine eligibility.

Note:

- The Pre-medical course may be conducted either at a Medical College or at a Science College.
- Marks obtained in Mathematics are not to be considered for eligibility for admission to MBBS/BDS Courses.
- The candidates who have studied from the Foreign/International Board should ensure that the qualifying examination passed by them are, in scope and standard, as explained in CODE: 07.

अभिलेखों का सत्यापन—

निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित नोडल सेन्टर पर कराया जायेगा—

शैक्षणिक/आरक्षण सम्बन्धी अभिलेख—

1. नीट 2019 परीक्षा प्रवेश पत्र (एनटी0ए0) द्वारा जारी
2. नीट 2019 परिणाम/रैंक पत्र (एनटी0ए0) द्वारा जारी
3. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र
4. पहचान प्रमाण पत्र(आधार कार्ड/पैन कार्ड/डाइविंग लाइसेंस/पास पोर्ट)
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र
6. आरक्षण के दावे से सम्बन्धित प्रमाण पत्र-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यू0एस0/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा) **सभी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होंगे।**
7. ऑनलाईन पंजीकरण का प्रिंटआउट
8. धरोहर धनराशि (security money) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा।
 - ₹0 30,000/- (तीस हजार मात्र) राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कॉलेज की सीटों के लिए।
 - ₹0 2,00,000/- (दो लाख मात्र) निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए।
 - ₹0 1,00,000/- (एक लाख मात्र) निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेजों की सीटों के लिए।
 - धरोहर धनराशि (security money) अभिलेखों के सत्यापन (च्वाईस फिलिंग से पूर्व) के समय ही जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में काउंसिलिंग प्रक्रिया (Choice filling) में प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे।
 - डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 देय लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, UP Payable at Lucknow only) के नाम बना हो।

अभिलेखों के सत्यापन की तिथि एवं नोडल सेन्टर की सूची—

प्रथम चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग हेतु अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 26 जून, 2019 से दिनांक 30 जून, 2019 तथा द्वितीय चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग हेतु दिनांक 17 जुलाई 2019 से दिनांक 19 जुलाई 2019 के मध्य अभ्यर्थियों द्वारा चयनित निम्नलिखित नोडल सेन्टरों में से किसी एक सेन्टर पर स्वयं मूल अभिलेखों एवं धरोहर धनराशि (Security money) सहित उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराया जायेगा। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

क्र	मेडिकल कॉलेज/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम (सेन्टर का नाम)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
2	डॉ० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ

3	जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर
4	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा
5	एल०एल०आर० मेडिकल कालेज, मेरठ
6	एम०एल०वी० मेडिकल कालेज, झांसी
7	बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर
8	एम०एल०एन० मेडिकल कालेज, प्रयागराज
9	उ०प्र० ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बौदा
16	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ
17	स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, अयोध्या

यदि किन्हीं कारणोंवश अभिलेखों के सत्यापन हेतु तिथि में परिवर्तन होता है तो उक्त की सूचना तथा अभिलेखों के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर किस तिथि को उपस्थित होना है, इसकी सूचना एन०आई०सी० की वेबसाइट <https://upneet.gov.in> तथा विभाग की वेबसाइट www.updgm.in पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वह समय-समय पर उपर्युक्त उल्लिखित वेबसाइटों का अवलोकन करते रहे।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किये जाने वाले नोडल सेन्टर की सूची

क्र०	नोडल सेन्टर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेंटल कालेज
1	के।ए. जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी० आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ 2. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ 3. टी०एस० मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ 4. इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ 5. प्रताप इंस्टी० आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी० आफ डेंटल साइंसेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ
2	डॉ० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	6. हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी 7. मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइंसेज, बाराबंकी 8. हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर	2. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट आफ डेंटल साइंसेज, लखनऊ 3. बी०बी०डी० कालेज आफ डेंटल साइंसेज, लखनऊ
3	जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर	9. रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, कानपुर 10. सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव	4. रामा डेंटल कालेज, कानपुर 5. महाराणा प्रताप डेंटल कालेज एण्ड हॉस्पिटल कानपुर 6. सरस्वती डेंटल कालेज, एण्ड रिसर्च, लखनऊ 7. चन्द्रा डेंटल कालेज, बाराबंकी
4	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा	11. को०डी० मेडिकल कालेज, मथुरा 12. एफ०एच० मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद 13. कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा 14. श्रीराम श्रुति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली 15. राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली 16. कहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली	8. को०डी० डेंटल कालेज, मथुरा 9. आई०डी०एस० बरेली 10. आई०डी०एस०टी० डेंटल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद

5.	एलओएलओआरओ एनओ मेडिकल कॉलेज मेरठ	17. सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ	11. सुभारती डेंटल कॉलेज, मेरठ
		18. रामा मेडिकल एण्ड हॉस्पिटल, हापुड	12. कालका डेंटल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, मेरठ
		19. जीओएसओ मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पिलखुआ, हापुड	13. इन्द्रप्रस्थ डेंटल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, गाजियाबाद
		20. सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज साइन्स, हापुड	14. तीर्थकार महावीर डेंटल कॉलेज, मुरादाबाद
		21. तीर्थकार महावीर मेडिकल कॉलेज, मुरादाबाद	15. कोठावाल डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर, मुरादाबाद
6.	एमओएलओएनओ मेडिकल कॉलेज प्रयागराज	22. हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज साइन्स, वाराणसी	
7.	बीओआरओडीओ मेडिकल कॉलेज गोरखपुर		16. पूर्वचल इंस्टीट्यूट डेंटल साइन्स, गोरखपुर
8.	मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर	23. मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर 24. स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज (शाहदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा	17. डेंटल कॉलेज, आजमगढ़
			18. आईटीओएसओ सेंटर फॉर डेंटल मुरादनगर गाजियाबाद
			19. डीओजेओ कॉलेज ऑफ डेंटल साइन्स एण्ड रिसर्च, मोदीनगर गाजियाबाद
			20. श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज, गाजियाबाद
			21. स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज (शाहदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा
			22. आईटीओएसओ डेंटल कॉलेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, ग्रेटर नोएडा

पंजीकरण शुल्क-

- नीट यूजीओ 2019 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 2,000/- प्रति अभ्यर्थी (दोनों चक्रों की काउंसिलिंग हेतु) तथा मॉप अप राउण्ड हेतु ₹ 1000/- प्रति अभ्यर्थी (मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करना होगा।
- पंजीकरण के लिए <https://upneet.gov.in> पर NEET Counseling-2019 के लिंक को क्लिक करें एवं वहाँ दिये गये निर्देशों के अनुसार पंजीकरण करें।
- पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क, नॉन रिफंडेबल (Non Refundable) है।

धरोहर धनराशि (Security Money)

स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों की सीट हेतु ₹ 30,000/- (रु० तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की सीट हेतु ₹ 2,00,000/- (रु० दो लाख मात्र) तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कॉलेजों हेतु ₹ 1,00,000/- (रु० एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० देव लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, UP Payable at Lucknow only) के नाम बना हो, को अभिलेखों के स्थापन के समय नोडल सेंटर पर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी राजकीय तथा निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार की सीटों हेतु काउंसिलिंग कराना चाहता है तो उसे मात्र ₹ 2,00,000/- का ही डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाना होगा।

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/डेंटल कॉलेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाएगा अथवा प्रवेश के बाद अपनी सीट से त्यागपत्र दे देते हैं तो उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।

➤ ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम व द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से कोई सीट आवंटित नहीं होती है, द्वितीय काउंसिलिंग के पश्चात् वह अपनी धरोहर धनराशि (Security Money) का बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित सत्यापन केन्द्र से वापस प्राप्त करेंगे।

➤ यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेंटल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात् अभ्यर्थी ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउंसिलिंग के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय किसी अन्य काउंसिलिंग से आवंटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग से दो दिन (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग 24.07.2019 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 21.07.2019 को सायं 04:00 बजे तक) पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा सम्पूर्ण शैक्षणिक शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जायेगा:-

➤ राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस कर दी जायेगी।

➤ निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।

➤ निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, यदि अभ्यर्थी द्वारा त्याग पत्र देकर सीट रिक्त की जाती है, तो उसके द्वारा जमा किया गया समस्त शिक्षण शुल्क तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

धरोहर धनराशि (Security Money) वापस किये जाने के सम्बन्ध में-

सीट यू0पी0 यू0जी0 2019 के द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें राजकीय अथवा निजी क्षेत्र की कोई भी सीट आवंटित नहीं हुयी है वह अपनी धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उसी नोडल सेन्टर से प्राप्त करेंगे जहाँ पर उनके द्वारा जमा किया गया है।

ऐसे अभ्यर्थी जिनको राजकीय अथवा निजी क्षेत्र की सीट आवंटित हो गयी है उनकी धरोहर धनराशि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त उनको उपलब्ध करा दी जायेगी।

ऑल इण्डिया कोटा की समर्पित सीटों के सम्बन्ध में-

ऑल इण्डिया की द्वितीय काउंसिलिंग के पश्चात् प्रदेश को समर्पित रिक्त सीटों को स्टेट कोटा में सम्मिलित करते हुए द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग सम्पन्न की जायेगी।

त्यागपत्र दिये जाने के सम्बन्ध में-

रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार-उस-सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में बिन्दु-4 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है:-

4. After the second round of counselling for All India Quota seats, the students who take admission in All India Quota seats should not be allowed/permitted to vacate the seats. This would ensure that very few seats are reverted to the State Quota and also All India Quota seats are filled by students from the all India merit list only. The students who take admission and secure admission in Deemed Universities pursuant to the second round of counselling conducted by the DGHS shall not be eligible to participate in any other counselling.

शासनादेशों के अनुपालन में प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी।



आरक्षण (Reservation)

(क) नीट यू0जी0 2019 के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक राजकीय मेडिकल/डेंटल पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल सीटों पर निम्नवत् 'उर्ध्ववाधर आरक्षण' (Vertical Reservation) प्रदान किया जायेगा :

1. अनुसूचित-जाति (S.C.) के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2. अनुसूचित-जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3. अन्य-पिछड़ा-वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

➤ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन के अद्यावधिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

➤ अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2019 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए।

➤ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी0-II दिनांक 18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार EWS का आरक्षण उन्हीं पुराने कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें एम्0सी0आई0 द्वारा EWS के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी।

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	बी ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन.सी.सी. कैडेट	01 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत
5	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत

नोट-

एम्0सी0आई0 के पत्र दिनांक 16.03.2018 के साथ प्राप्त THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया जाना है। वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें नीट की मेरिट सूची के आधार पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। इस उद्देश्य के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गयी विनिर्दिष्ट विकलांगता परिशिष्ट-ज में संलग्न है। यदि दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जायेगा।

➤ भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 04.02.2019 के द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र जारी किये जाने वाले केन्द्रों के नाम तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्नक-2 पर टंकित है।

(ख) उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कॉलेजों कमश राजकीय मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में 'वर्टिकल' आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत् किया गया है-

क्र	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटें	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटें	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
	योग	85	15	100

(Handwritten signatures and marks)

स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी और शासनादेश संख्या-22सी0एम0(1)/26-3-13 दिनांक 10.06.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है, अपितु विमुक्त जाति का अभ्यर्थी जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा उसे उसी श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

(ग) आरक्षित श्रेणी की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा:-

- काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उप-श्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व काउंसिलिंग बोर्ड का होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद के पुत्र/पुत्रियों) के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप (संलग्न-3) पर दिये गये प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न-4) में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
- स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर-प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू0जी0 2019 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2017 को पारित आदेश/निर्णय में इंगित आब्जर्वेशन का अनुपालन के क्रम में क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रश्नगत मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन अनुमन्य किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0 2019 की काउंसिलिंग हेतु इस ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2019 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में आरक्षण-

निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेजों/डेंटल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(Handwritten signatures and marks)

बाण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में-

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशों के क्रम में राजकीय मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एमबीबीएस/बीडीएस) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड मराया जायेगा, जो निम्नानुसार है:-

क्र०	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1.	स्नातक (एमबीबीएस/बीडीएस) पाठ्यक्रम	02 वर्ष	रु० 10.00 लाख	महानगरी को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पीजी0 जे०आर० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।

उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07.03.2018 विभाग की वेबसाइट www.updgme.in पर प्रदर्शित हो रहा है। सेवा बाण्ड से सम्बन्धित अन्य शर्तों के सम्बन्ध में शासनादेश का स्वयं अवलोकन करें। बाण्ड का प्रारूप (संलग्नक-5) पर टंकित है।

काउंसिलिंग प्रक्रिया:-

काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक्र में सम्पन्न की जायेगी। **च्चाईस फिलिंग के पश्चात् च्चाईस लॉक करना अनिवार्य होगा। च्चाईस लॉक न करने की दशा में सीट आवंटन नहीं होगा।**

अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात् प्रवेश न लेने अथवा प्रवेश के पश्चात् त्यागपत्र देने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के लिए अर्ह होंगे।

प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा उन्हें पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में Reshuffle कर सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी, अतः द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेश ली गयी सीट यथावत बनी रहेगी।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है और वे द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में भी भाग लेते हैं तथा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में भी उन्हें प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है तो उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जायेगा और उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मॉपअप चक्र से भर दिया जायेगा।

मॉपअप राउण्ड-

- माप-अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यूजी0-2019 के अर्ह अभ्यर्थियों को रु० 1000/- पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुये एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हें कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हें सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं करनी होगी।
- माप-अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें नीट यूजी0 यूजी0 2019 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- नीट यूजी0 यूजी0 2019 की प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से एमबीबीएस आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- माप-अप राउण्ड के आयोजन स्थल के नाम की सूचना <https://upneet.gov.in> & www.updgme.in पर पृथक से प्रदर्शित की जायेगी।
- माप-अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु ₹ 30,000/- तथा निजी क्षेत्र की मेडिकल (एमबीबीएस) सीटों हेतु ₹ 2,00,000/- तथा निजी क्षेत्र की डेंटल (बीडीएस) सीटों हेतु ₹ 1,00,000/- की धरोहर धनराशि (Security Money) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० देय लखनऊ (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) नहीं जमा की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही नोडल सेक्टर पर सम्बन्धित कालेज हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० देय लखनऊ (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों के शिक्षण शुल्क की सूची <https://upneet.gov.in> & www.updgmec.in पर प्रदर्शित हो रही है।
- यदि मॉप-अप राउण्ड के सम्पन्न होने के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकरण के समय ही विकल्प प्राप्त किया जायेगा और उक्त की सूची मेरिट के आधार पर सम्बन्धित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- नीट यूजी0 2019 की पूर्व काउंसिलिंग के माध्यम से बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेशित है वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकेंगे। बीडीएस में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- मॉप-अप राउण्ड में कोई पुनरावंटन (Reshuffling) अनुमत्य नहीं होगा।
- नीट 2019 के अन्तर्गत 15 प्रतिशत ऑल इण्डिया कोटा माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी मॉप-अप हेतु अर्ह नहीं होंगे।

कालेजों की सूची एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज—

क्र०सं०	राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	सीटों की संख्या
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र., लखनऊ	210
2.	जी.एस.पी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर	159
3.	एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा	124
4.	एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज	124
5.	एल.एल.आर.एम.मेडिकल कॉलेज, मुरादाबाद	124
6.	एम.एल.बी. मेडिकल कॉलेज, झांसी	82
7.	बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	82
8.	उ०प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	128
9.	राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर (स्पेशल कम्प्लेमेंट प्लान के अन्तर्गत)	85
10.	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज (स्पेशल कम्प्लेमेंट प्लान के अन्तर्गत)	85
11.	*राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (स्पेशल कम्प्लेमेंट प्लान के अन्तर्गत)	85
12.	*राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	85
13.	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर (स्पेशल कम्प्लेमेंट प्लान के अन्तर्गत)	85
14.	*राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा	85
15.	डॉ० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	127
16.	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ	85
17.	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा	85
18.	स्वशांसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या	85

(Handwritten signatures and marks)

19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती	85
20	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच	85
21	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहांपुर	85
22	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद	85
योग		2265

*राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज जिनको एम0सी0आई0 द्वारा वर्तमान सत्र 2019-20 में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

राजकीय क्षेत्र का डेण्टल कालेज-

क्र0सं0	कालेज का नाम	सीटों की संख्या
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ, (दंत विज्ञान संकाय)	51
योग		51

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज-

क्र.सं	कालेज का नाम	सीटों की कुल संख्या
1	श्रीराममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली	100
2	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	150
3	रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली	150
4	रामा मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, कानपुर	100
5	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड	150
6	हिन्दू इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	100
7	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	150
8	रामा मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, हापुड	150
9	राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली	150
10	हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराणसी	150
11	हिन्दू इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर	150
12	टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	150
13	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	100
14	एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	150
15	तीर्थाकर महावीर मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर, मुरादाबाद (अल्पसंख्यक)	150
16	कै0डी0 मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मथुरा।	150
17	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	100
18	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	150
19	एफ0एच0 मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल फिरोजाबाद	150
20	जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, पिलखुआ, हापुड	150
21	इंटीग्रल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक संस्थान)	100
22	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	150
23	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव	150
24	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा	150
योग-		3300

निजी क्षेत्र के ऐसे मेडिकल कालेज जिनको एम0सी0आई0 द्वारा वर्तमान सत्र 2019-20 में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है, की सूची

क्र	मेडिकल कालेज का नाम
1	वरुणार्जुन मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर
2	एम0एस0आई0 मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, मेरठ
3	जी0सी0आर0जी0 इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
4	ग्लोकल मेडिकल कालेज एण्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सहारनपुर
5	श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, अमरोहा

निजी क्षेत्र के डेंटल कालेज—

क्र	कालेज का नाम	सीटों की संख्या
1.	रामा डेंटल कालेज, कानपुर	100
2.	सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ डेंटल एण्ड मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	100
3.	सुभारती डेंटल कालेज, मेरठ	100
4.	सरस्वती डेंटल कालेज, लखनऊ	100
5.	कोठीवाल डेंटल कालेज, मुरादाबाद	100
6.	बी0बी0डी0 कालेज आफ डेंटल साइंसेज, लखनऊ	100
7.	इंस्टीट्यूट आफ डेंटल स्टडीज एण्ड टेक्नोलॉजी, मोदीनगर, गाजियाबाद	100
8.	आई0टी0एस0 सेंटर फार डेंटल स्टडीज, मुरादनगर, गाजियाबाद	100
9.	कै0 डी0 डेंटल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, मथुरा	100
10.	इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, बरेली	100
11.	चन्द्रा डेंटल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, बाराबंकी	100
12.	श्री बांके बिहारी डेंटल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर, गाजियाबाद	100
13.	डेंटल कालेज, आजमगढ़	100
14.	महाराणा प्रताप डेंटल साइंसेज, कानपुर	100
15.	पूर्वांचल इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, गोरखपुर	100
16.	इन्द्रप्रस्थ डेंटल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, गाजियाबाद	100
17.	आई0टी0एस0 कालेज, हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, ग्रेटर नोएडा	100
18.	कालका डेंटल कालेज, मेरठ	100
19.	स्कूल आफ डेंटल साइंसेज, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	100
20.	डी0जे0 कालेज आफ डेंटल साइंसेज एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद (अल्पसंख्यक)	100
21.	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	100
22.	तीर्थारकर इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, मुरादाबाद (अल्पसंख्यक)	100
	कुल योग—	2200

टिप्पणी : काउंसिलिंग के समय सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. अहीर, यादव, गाला, पटुवशी | 2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार |
| 3. जाट | |
| 4. कुर्मी, चमऊ, कुर्मी-सैथवार, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल | 5. गिरी |
| 6. गुजर | 7. गोसाई |
| 8. लोधी, लोधी, लोधी, लोधी, लोधी-रजपूत | 9. कम्बोज |
| 10. अरख, अर्कवशीय | |
| 11. काशी, काशी-कुशावाहा, शाय | 12. कहार, कश्यप |
| 13. कोवट, मल्लाह, निषाद | 14. किसान |
| 15. कोइरी | 16. कुहार, प्रजापति |
| 17. कसगर | 18. कुजड़ या राईन |
| 19. गड़रिया, बाल, बघेल | 20. गंदी, घोरी |
| 21. बिकवा, कनसाब, कुरेशी, चक | 22. छोपी, छोपा |
| 23. जामी | |
| 24. झोला | 25. झकाली |
| 26. जमाली, बरई, चौरसिया | |
| 27. तली, सामागी, रंगनगर, साहू, रानियार, रानी अरॉक | 28. इर्जी, इंदोशी, काकुत्थ |
| 29. धीवर | 30. नयकाल |
| 31. मठ (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) | 32. नाथक |
| 33. मछीर | 34. कजारा, रकी, मुकरी, मुकरानी |
| 35. बड़ई, लोधी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगड़िया, जागिड़, धीमान | |
| 36. बारी | 37. बैरागी |
| 38. बिन्द | 39. बियार |
| 40. मर, राजवार | 41. मुजौ, मझुजा, भूज, कांदू, कश्यप |
| 42. मठियार | 43. माली, रानी |
| 44. रवीपट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर | 45. लोहार, लोहार-सफी |
| 46. लोनिचा, लोनिचा, गोले, डाकुर, लोनिचा-छोहान | |
| 47. लंगरज, रंगवा | 48. माछा |
| 49. ललवाई, मोहनवाल | |
| 50. हलवाई, नाई, सलमानी, सयिता, श्रीवार | 52. लवक-निशती, निशती-अव्यासी |
| 51. लय सिमर | |
| 53. धोबी (जो अनुसूचित जातियों या जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) | 55. नानवाई |
| 54. कौसर, डोहर, रामवार | 57. शेख सरवारी (पिराही), पौराही |
| 56. मीरशिकार | 59. कोछा/कोछी |
| 58. मव, मवाती | 61. खुमरा, संगतराश, हपरीरी |
| 60. रोड | 63. खानी |
| 62. सोनी | 65. कतुआ |
| 64. लवर सिंधाडिया | 67. दांगी |
| 66. माहीगौर | 69. गाढ़ा |
| 68. धकड़ | 71. जोरिया |
| 70. लतावा | 73. कलाल, कलवार, कलार |
| 72. पटवा, पटहारा, पटहारा, देववशी | 75. मुराव, मुराई, मौय |
| 74. मनिहार, कपूर, लखेश | |
| 76. गोमिन (अराव) | 78. गिरासी |
| 77. मुस्लिम कायस्थ | |
| 79. नंददास (धुनिया), ननूरी, कन्देरी, कडेर, करण (कर्ण) | |



अनुसूचित जातियों की सूची

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. अगरिया (सोनमढ़ जिले को छोड़कर) | 2. थथिक | 3. बादी |
| 4. वहेलिया | 5. बैगा (सोनमढ़ जिले को छोड़कर) | 6. बैसवार |
| 7. थलनिया | 8. बाजगी | 9. बलहार |
| 10. बलाई | 11. बाल्मीकि | 12. बंगाली |
| 13. बनमानुष | 14. बांसफोड़ | 15. बरवार |
| 16. बसोड़ | 17. बावरिया | 18. बेलदार |
| 19. घेरिया | 20. भन्तू | 21. भुइया (सोनमढ़ जिले को छोड़कर) |
| 22. भुईयार | 23. भोरिया | 24. बमार, झुसिया, धुसिया, जाटव |
| 25. चैरी (सोनमढ़ और वाराणसी जिले को छोड़कर) | 26. दबगर | 27. धनगर |
| 28. धानुक | 29. धरवार | 30. गोबी |
| 31. डौन | 32. डोमर | 33. दुसाध |
| 34. धरामी | 35. धरिया | |
| 36. गौड़ (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनमढ़ जिलों को छोड़कर) | | |
| 37. ग्वाल | 38. हबूडा | 39. हरी |
| 40. हल | 41. कलावाज | 42. कंजर |
| 43. कपडिया | 44. करवल | 45. खराहा |
| 46. खरवार (बनबासी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, और सोनमढ़ जिलों को छोड़कर) | 47. खोराट | 48. खटीक |
| 49. खोराट | 50. कोल | 51. कोरी |
| 52. कोरवा | 53. लालबेगी | 54. लखवार |
| 55. मावडवी | 56. मुसहर | 57. नट |
| 58. पखा (सोनमढ़ और मिर्जापुर जिले को छोड़कर) | 59. पारी, तरमाली | |
| 60. परहिया (सोनमढ़ जिले को छोड़कर) | 61. रावठ | |
| 62. पटारी (सोनमढ़ जिले को छोड़कर) | 63. सिनोरिया | 64. सांसिया |
| 65. सांवरिया (ललितपुर जिले को छोड़कर) | 66. सुरैहा | |
| 67. शिलकार | | |

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची

1. शारु
2. बुक्का
3. मोटिया
4. राजी
5. जन्नासरी/जौनसारी
6. गौड़, धुरिया, नाटक, ओझा, पठारी, राज गौड़ (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनमढ़ जनपदों में)
7. खरवार, खरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनमढ़ जनपदों में)
8. सहस्या (ललितपुर जिले में)
9. पराडिया (सोनमढ़ जिले में)
10. बैगा (सोनमढ़ जिले में)
11. पखा, पमिक (सोनमढ़ एवं मिर्जापुर जिले में)
12. अगरिया (सोनमढ़ जिले में)
13. पटारी (सोनमढ़ जिले में)
14. घेरी (सोनमढ़ एवं वाराणसी जिले में)
15. भुइया, भुनिया (सोनमढ़ जिले में)

नोट- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 पर्याप्तशक्ति के अनुसार आरक्षण अनुमत्य किया जाएगा।

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,

तुलसी गौड़,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

प्राप्त की,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक : 18 फरवरी, 2003

विषय: डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण।

सारांश:

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते हैं। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतया पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, रेलवे कानूनज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एलपीजी-केरोसिन डीजल डीलरशिप प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे मामले शासन को भेजे जाते हैं।

डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को "नागरिकता" जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम विन्दु से जोड़ कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को "नागरिकता" से जोड़कर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के ध्यान में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

संबंधी सर्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-भा0सा0-55/सीन-99-77 (11)/83, दिनांक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्वारा ऑनलाईन/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रस्थापित की जाती है :-

- (1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तदनुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा।
- (2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए "सक्षम अधिकारी" होंगे।
- (3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हो अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।
- (4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है, जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।
- (5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चस्पा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारी करने हेतु) प्रस्तुत करेंगे। प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 संलग्न है।
- (6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

एतद्वारा शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shaanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पी0ए0एन0), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नित किया जायेगा।

- (8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जाँच हेतु संबंधित जाँच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जाँच आख्या माँग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जाँच आपत्तियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।
- (9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निसासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे हैं, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।
- (10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय "दि सिटीजनशिप एक्ट-1955" में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।
4. कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड)
सचिव।

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)

आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि है तो)

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक)

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो)

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण

पत्र)

पता वर्तमान पता

गाँव

जनपद

(तथा पिछले तीन वर्षों से निवास करने का पता, कब से कब तक)

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

(क) आवेदक का जन्म स्थान

(ख) जन्म तिथि (ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

वर्तमान पता

आवेदक का नवीनतम फोटो
सत्यापनकर्ता द्वारा
हस्ताक्षरित व मुहर सहित
चस्पा दी जाये।

यह आश्विनदेश प्रलेखनिकता जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

इस आश्विनदेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shashanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9. क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है
(हो/नहीं)..... (यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10. प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए

मैं..... घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचनार्य सत्य हैं व
मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम

तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर
सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

1. श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी
..... निवासी/निवासिनी मकान नम्बर
..... ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट..... जमपद..... उत्तर प्रदेश की
मैं..... वर्षों से जानता हूँ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... वर्षों से
उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

3. श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी की या उसके माता/पिता
की ग्राम/मोहल्ला..... तहसील
जिला..... मैं अचल सम्पत्ति है।
दिनांक

हस्ताक्षर,

सत्यापनकर्ता का नाम

पदनाम व मुहर।

उपरोक्त पत्र-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वाछनीय है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकल तौर पर जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shahwanadesh.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

22

22

22

22

22

22

22

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है

श्री/श्रीमती/कुमारी

पति/पत्नी

संकाय नंबर

मुहल्ला स्थान

उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता

फोटो की एक प्रति चस्पा करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणित की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (व्यक्तिगतपसल अभिकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,

का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1. यह शासनार्देश इलेक्ट्रानिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनार्देश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

FOR QUALIFIED PHYSICALLY HANDICAPPED (PH) CANDIDATES
FOR ALL INDIA QUOTA/CENTRAL UNIVERSITIES -UG (MBBS/BDS)

Reservation of PWD seats in government medical colleges under 15% All India Quota/Central Universities:

- I. 5% seats are reserved on horizontal basis for differentially abled (PWD) as per "THE RIGHTS FOR PERSONS WITH DISABILITIES ACT 2016". Detailed information in this regard is available on the website of the MCC www.mcc.nic.in. Qualified candidates may please note that they are required to produce Disability Certificate from one of the disability assessment boards, constituted at the four metro cities, mentioned below, before scheduled date of online counseling (Candidates are advised not to wait for last date, they must get examination done immediately and get the prescribed certificate to know exact percentage of disability before filling up information in online Registration form):

1. Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, Ansari Nagar, (Ring Road), New Delhi
2. All India Institute of Physical Medicine and rehabilitation (for Locomotor Disability only) Mumbai.
3. Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Kolkata.
4. Madras Medical College, Chennai.
5. Grant Government Medical College, J.J. Hospital Compound. Mumbai Maharashtra.
6. Goa Medical College, Goa.
7. Government Medical College, Thiruvananthapuram , Kerala .
8. SMS Medical College, Jaipur Rajasthan.
9. Govt . Medical College and Hospital, Sector 32, Chandigarh.
10. Govt . Medical College, Agartala, State disability board, Agartala .

- II. MoHFW/MCC/DGHS is in the process of identifying new centre's as inclusion of 21 intellectual disabilities under "THE RIGHTS FOR PERSONS WITH DISABILITIES ACT 2016"

DISCLAIMER: Frequently Asked Questions (FAQ's) are only for the guidance purpose. Frequently Asked Questions (FAQ's) are not valid for legal purpose. For any clarification in the FAQ's, candidates are advised to clarify it from MCC/DGH or through MCC/DGHS

HELPLINE NO- 1800 102 7637 or 0120-4073500.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

CERTIFICATE OF DISABILITY

(As per Gazette Notification No. MCI-34(41)/2018-Med./170045 dated 5th February, 2019 for admission to Medical Courses in All India Quota)

Certificate No. _____ Dated _____

Name of the Designated Disability Centre (as per ANNEXURE): _____

This to certify that Dr. / Mr. / Ms. _____

Aged _____ Years Son/ Daughter of Mr. _____

R/o _____

Recent Passport
Size Photograph
of the candidate
duly attested by
the issuing
authority

NEET Roll No. _____ Rank No. _____ has the following

Disability (Name of the Specified Disability) _____

and has Permanent Physical Impairment(PPI) with the Disability Range (in percentage)

of _____ (in words) _____ (in Figures).

• **Please tick on the "Specified Disability"**

(Assessment may be done on the basis of Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3 Sub-section(ii), Ministry of Social Justice and Empowerment)

S.No.	Disability Type	Type of Disability	Specified Disability
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability B. Visual Impairment C. Hearing Impairment D. Speech & Language Disability	a. Leprosy cured person, b. Cerebral Palsy, c. Dwarfism, d. Muscular Dystrophy, e. Acid attack Victims, f. others such as Amputation, Poliomyelitis a. Blindness b. Low Vision a. Deaf b. Hard of hearing a. Organic/ Neurological causes
2.	Intellectual Disability		a. Specific Learning Disabilities(Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental Aphasia b. Autism Spectrum Disorders
3.	Mental Behaviour		a. Mental illness
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions b. Blood Disorders	i. Multiple Sclerosis ii. Parkinsonism i. Haemophilia, ii. Thalassemia, iii. Sickle Cell Disease
5.	Multiple Disabilities including Deaf Blindness		More than one of the above specified disabilities.

- **Conclusion:** He/ She is **Eligible/ Not Eligible** for admission in Medical/ Dental courses as per the MCI/ DCI Guidelines subject to his being otherwise medically fit.

Sign & Name _____

(Concerned Specialist)

Sign & Name _____

(Concerned Specialist)

Sign & Name _____

(Concerned Specialist)

↓
Qalat
Mr. 26

प्रमाण-पत्र

(UP FF)

स्थान

दिनांक

(उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण पत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

निवासी

ग्राम

तहसील

नगर

जिला

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपराक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित हैं।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक

पूरा नाम

पद नाम

मोहर

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

जिलाधिकारी

(सील)

निर्धारित प्रारूप पर क्रिप्ट संख्या एवं दिनांक सहित निर्णय प्रमाण पत्र मान्य हो होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में कार्टिसिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(Handwritten signatures and marks)

प्रमाण-पत्र
उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक (UPES)
(अन्तिम यूनिट के आफिसर कमान्डिंग द्वारा प्रमाणित)

संख्या _____

दिनांक _____

प्रमाणित किया जाता है कि श्री _____ निवासी _____
ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय _____ सेना में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक _____
को सेवा निवृत्त हुए हैं या थे/ भारतीय सेना की सक्रिय सेवा काल में कर्तव्यों के निर्वहन के
लिए युद्ध में अहत/युद्ध में अपंग होने के कारण वीरगति/अक्षमता प्राप्त की थी।
वीरगति/अक्षमता प्राप्त करने से पूर्व श्री _____ भारतीय _____ सेना की
यूनिट _____ में नियुक्त थे।

दिनांक _____

सेना की संबंधित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा
सील

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर _____ दिनांक _____

दिनांक _____

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी _____ निवासी _____
उपरोक्त श्री _____ के पुत्र/पुत्री हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर _____

दिनांक _____

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर तथा
सील

युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का नाम
युद्ध में शहीद/युद्ध में अपंग सैनिक का स्थायी पता
पति/पत्नी/जल जो उपयुक्त हो, अभ्यर्थी का नाम
यूनिट की संख्या व पता

निर्धारित प्रारूप पर विशेष संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा
तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

De [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO

----- COURSE ----- SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT ----- ON THIS DAY OF

BETWEEN

NAME -----

S/O, D/O, W/O -----

RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS) -----

(TEMPORARY ADDRESS) : -----

MOBILE NO.: -----

E-Mail id: -----

AADHAR No. : -----

Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEAREAS FIRST PARTY has applied for admission to ----- course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than two year after successful completion of the -----course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of two year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 10 Lacs for Degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the ----- course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the ----- course his/her certificates relating to ----- course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of two year or pay to the Government on demand the sum of Rs. ----- (Rupees -----) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period of delay; AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY ----- employed as ----- granted stipend to him/her for a period of 24 months effect from ----- in order to enable his/her to study at ----- college.

AND WHERE AS if the FIRST PLARTY ----- works for a period of less than 24 months during the ----- Super specialty

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

course DM/MCH/----- Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY ----- shall pay back in addition to the security amount of Rs.----- (Rupees-----only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS: -

1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the ----- Super specialty course DM/MCH/Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. ----- (Rupees -----only) to the Government in the specified Government Treasury.
2. The FIRST PARTY Agrees that till the successful completion of the period of two year service to the Government or till the payment of Rs. ----- (Rupees -----) only is paid the certificates relating to ----- Super specialty course DM/MCH/-----Post Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/discharged.
4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of

FIRST PARTY

()

For and behalf of

Governor

()

Witnesses :-

20/06/2019